तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **मुन्तकिली / टी.ए. / 862 / 2022 / भरतपुर** **कविता रानी बनाम सुरेन्द्र प्रसाद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल पीठ **श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य** **उपस्थित** :– (1) श्री वकुल कुमार, अभिभाषक प्रार्थियां। (2) श्री अजयपाल ढिडारिया, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 12 व 14 **आदेश दिनांकः– 22–06–2022** यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 233, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, नगर जिला भरतपुर के समक्ष प्रकरण सं0 16 / 2020 बउनवानी दिनेशचन्द्र बनाम ओमवती व अन्य को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पर सुनी गई एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी का अवलोकन किया गया। पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों को झूंठे, निराधार, मनगढंत बताया है। मिन पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की कोई अन्यथा रूचि नहीं ली जा रही है तथा न ही कोई वाद में नजदीकी तारीख पेशी दी जा रही है। विपक्षीगण पीठासीन अधिकारी व रीडर के मिलने वाले नहीं हैं, न ही रीडर का किसी प्रकार का हित निहित नहीं है तथा न ही रीडर द्वारा नजदीक तारीख पेशी दी जा रही है। आगे यह भी कथन किया कि उक्त वाद / प्रार्थना पत्र को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी ने प्रकरण को देरीना करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। यदि इस प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल कर दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। न्याय हित में प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, नगर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण सं0 16 / 2020 बनवानी दिनेशचन्द बनाम ओमवती को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है। उभय पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में दिनांक 7–7–2022 को उपस्थित होवें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ प्रेषित की जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **सदस्य**	करा